



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श10)
(सं0 पटना 398) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
2 जुलाई 2020

एस० ओ० 134, दिनांक 2 जुलाई 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियमावली, 2020 है।
- (2) ये 27 मई 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है:

परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की

अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।”

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1207)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

2 जुलाई 2020,

एस० ओ० 134, दिनांक 2 जुलाई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1207)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 2nd July 2020

S.O. 134, Dated 2nd July 2020—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on 27th day of May, 2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 26 in sub-rule (1), for the second proviso, following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).

Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of May, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** verified through electronic verification code (EVC).”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1207)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 398-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>